न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14 / 2022

1. सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, तन मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. श्रीमति कंचन देवी पत्नी सीताराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी, तन मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

(निगरानीकार)

बनाम

1. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत मौजमाबाद, पंचायत समिति मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. हनुमान माली पुत्र नाथूलाल जाति माली, निवासी मालियों की ढाणी, तन मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

(गैरनिगरानीकार)

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

अभिभाषक निगरानी कर्ता: – श्री भैरूलाल शर्मा ।

अभिभाषक गैरनिगरानीकर्ता – श्री राधेश्याम लक्ष्यकार ।

निर्णय दिनांक :– 07.10.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार संख्या 01 की पुरतैनी आवादी भूमि ग्राम मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है। जिसपर प्रार्थी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र के जीवनकाल से नोहरा, बाडा बनाकर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। जिसकी माप पूर्व से पश्चिम 265 फीट, उत्तर से दक्षिण 75 फीट पूर्व में चौथू माली का मकान, पश्चिम में मदन माली का बाडा उत्तर में श्योराम, शंकर माली, नाथू व मालूराम माली के खाम मकानात दक्षिण में बाउन्ड्रीबाल छोडकर मौजमाबाद से भुरटीया सावली जाने की रोड के मध्य प्रार्थी का पुश्तैनी नोहरा, बाडा अवस्थित है जिसमें चद्दर डालकर रसोई बनाकर घरेलू सामान खाट, बिस्तर, पानी का परिण्डा आदि बनाकर तथा मवेशी बांधने, कृषि उपकरण, चाराफूस डालकर उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसका गैरनिगरानीकार संख्या 01 को पट्टा हेतु आवेदन दिनांक 24.04.2019 को प्रस्तुत कर रखा है रसीद सं0 1 नियमानुसार काटी जा चुकी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

है तथा सरपंच, सचिव व पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 2 व उनके परिजन नाथू मालचन्द, छीतर, रतन वगैरह द्वारा प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे को हटाने का प्रयास करने व वहां लगे 2 नीम के पेडों को काटकर जबरन कब्जा करने के प्रयास करने पर प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, थाना अधिकारी, गैरनिगरानीकार संख्या 1 को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की जिसपर वार्डपंच नन्दाराम, मुन्नीदेवी एवं सरवर द्वारा पुनः मौका निरीक्ष्ण किया जा चुका है। निगरानीकार द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत दिनांक 31.05.2019 को न्यायालय श्रीमान् वरिष्ठ सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू, जिला जयपुर में प्रस्तुत किया जिसमें गैरनिगरानीकार संख्या 2 के पिता प्रतिवादी संख्या 01 कायम है। जिसमें दिनांक 12.06.2019 को जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपरिथत होकर विवादित स्थल नोहरा बाडा नहीं होकर गोचर भूमि होना तथा ख0नं0 6778 सरकारी गोचर भूमि होना अंकित कर जवाब दावें के मद संख्या 6 में उक्त विवादित बाडों को आने जाने के लिये गोचर भूमि में से रास्ते से आना जाना बताते हुये अपना जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात् निगरानीकार के पैतृक कब्जेशुदा नोहरा का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने गैरकानूनी, विधि विरूद्ध, निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.10.2019 को पट्टा संख्या 48 जारी कर दिया गया जो रा0पं0अधिनियम 1994 एवं राज0 पं0 राज नियम 1996 नियम 158(क–1(2)) व 161 (क–ख) के विहित प्रावधानों के विपरित जारी किया है। गैरनिगरानीकार संख्या 1 के समक्ष दिनांक 24.02.2019 को विवादित नोरा बाडा का पट्टा निगरानीकार संख्या 01 के हक में पैतृक कब्जेशुदा नापचौक के बाद पट्टा जारी किये जाने आवेदन फिस 120/– रूपये रसीद नं0 7 बुक संख्या 2 ग्राम पंचायत मौजमाबाद के हक में जमा करवायी गयी जिसपर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। रा0पं0 राज नियम 1956 के नियम 158 के अधीन आवंटन योग्य आवासीय प्रयोजन के लिये भूमि अधिकतम 150 वर्गगज तक आवंटित किये जाने का प्रावधान है। परन्तु गैरनिगरानीकार संख्या 2 के हक में 273.77 वर्गगज भूमि का पट्टा गैरकानूनी जारी कर दिया। गैरनिगरानीकार के पास रहवास हेतू पूर्व से ही पुख्ता मकानात व कृषि भूमि होकर धनाढ्य परिवार वर्ग से है। नियमानुसार निगरानीकार को सुनवायी का अवसर नहीं दिया जाकर बिना आपत्ति नोटिस जारी किये, बिना पंच मौके निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये, बेक डेट में कपटपूर्वक, बेईमानी एवं जालसाली से ग्रसित होकर पट्टा निगरानीधीन जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टे की प्रथम बार जानकारी गैरनिगरानीकार संख्या 2 के पिता द्वारा दिनांक 04.07.2022 को विचाराधीन प्रकरण सीताराम बनाम नाथू वगै0 में प्रस्तुत करने से हुई। जानकारी होने के बाद यह निगरानी पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। निगरानी का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। निगरानी याचिका निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत मौजमाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2019 व जारी पट्टा संख्या 48 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी निगरानी निगरानीगणों ने गलत तथ्यों के अंकित करते हुए पेश की गई है। निगरानीकारगणों ने जो अपना पैतृिक कब्जेशुदा भूखण्ड/नोहरा बताया है जो गैरनिगरानीकार द्वारा जारी किये गये पट्टे की भूमि से अलग भूमि है जो कि रामपुरा भूरटिया रोड बाउन्ड्री के लगवा सरकारी भूमि है जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

जारी किया गया है वह खसरा नम्बर 8720/6740 गैर मुमकिन आबादी भूमि है जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के पिता नाथूलाल 30 वर्ष से कब्जेशुदा भूखण्ड पर रहवास कर उपयोग उपभोग कर रहा था जिसका प्रार्थी हनुमान पुत्र नाथूलाल द्वारा दिनांक 30.05.2017 को आवेदन प्राप्त हाने पर मिसल संख्या 21/17-18 द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत कानूनी प्रकिया अपनाते हुए मौके पर कब्जे अनुसार पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा संख्या 48 गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी खारिज की जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी निगरानी निगरानीकार ने गलत तथ्यों के अंकित करते हुए पेश की गई है। गैर निगरानीकार संख्या 2 को ग्राम पंचायत मौजमाबाद ने जो पट्टा संख्या 48 जारी किया गया है वह गैरनिगरानीकार संख्या 2 के पिता नाथूलाल के पैतृक कब्जेशुदा भूखण्ड/नोहरा का विधिक प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है। खसरा नम्बर 8720/6740 गैर मुमकिन आबादी भूमि है जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के पिता नाथूलाल 30 वर्ष से कब्जेशुदा भूखण्ड पर रहवास कर उपयोग उपभोग कर रहे थे जिसका कानूनी प्रकिया अपनाते हुए मौके पर कब्जे अनुसार विधिक प्रकिया के तहत पट्टा संख्या 48 गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया। निगरानीकार मात्र गैरनिगारानीकार संख्या 2 को हैरान परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

निगरानी पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैरनिगरानीकार संख्या 2 के हक में 273.77 वर्गगज भूमि का पट्टा गैरकानूनी जारी कर दिया। गैरनिगरानीकार के पास रहवास हेतू पूर्व से ही पुख्ता मकानात व कृषि भूमि होकर धनाढ्य परिवार वर्ग से है। नियमानुसार निगरानीकार को सुनवायी का अवसर नहीं दिया जाकर बिना आपत्ति नोटिस जारी किये, बिना पंच मौके निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये, बेक डेट में कपटपूर्वक, बेईमानी एवं जालसाली से ग्रसित होकर पट्टा निगरानीधीन जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी 2 के अधिवक्ता ने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 8720/6740 गैर मुमकिन आबादी भूमि है जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के पिता नाथूलाल 30 वर्ष से कब्जेशुदा भूखण्ड पर रहवास कर उपयोग उपभोग कर रहे थे जिसका कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मौके पर कब्जे अनुसार विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा संख्या 48 गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया। निगरानीकार मात्र गैरनिगारानीकार संख्या 2 को हैरान परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

हमने प्रार्थना पत्र, पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी। बहस, प्रार्थना पत्र, पत्रावली व दस्तावेजात पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी/गैरनिगरानीकार संख्या 1 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रूटी होना नही पाई गई है। प्रार्थी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

निगरानी में वर्णित तथ्य साबित नही होने से प्रार्थी की निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मौजमाबाद का आदेश दिनांक 20.10.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
दूदू
दूदू

Scanned with OKEN Scanner